संख्या-95/2023/4543/नौ-5-2023/003-Computer No-1607995-NJPTSY

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मऊनाथभंजन (मऊ), किरतपुर (बिजनौर), सोनभद्र (सोनभद्र), जमानियॉं (गाजीपुर)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना हेतु गत वित्तीय वर्षो में नगर पालिका परिषद, मऊनाथभंजन (मऊ), किरतपुर (बिजनौर), सोनभद्र (सोनभद्र), जमानियॉं (गाजीपुर) में स्थित तालाबों/पोखरों के सौन्दर्यीकरण कार्यो हेतु संलग्न विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग हो जाने के उपरान्त **रू0 452.5775 लाख (रुपये चार करोड़ बावन लाख सत्तावन हजार सात सौ पचास मात्र)** की धनराशि द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गात शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त्पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नशगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वींकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
11. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
12. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
13. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
14. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,52,57,750 (रुपये चार करोड़ बावन लाख सत्तावन हजार सात सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801920700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
21.08.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-95/2023/4543/नौ-5-2023/003-Computer No-1607995-NJPTSY, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7- संबंधित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश ।
8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
9-निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,
21.08.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-95/2023/4543/नौ-5-2023/003-Computer No-1607995-NJPTSY दिनांक 21 अगस्त, 2023

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र सं	निकाय/जनपद का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ	झील महल पोखरा कलेक्ट्रेट का सौन्दर्यीकरण कार्य।	50.00	12.50	37.50
2.	नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ	मोहल्ला बरपुर के आराजी नं0 23 (ख) में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	33.61	8.40	25.21
		मोहल्ला रामपुर चकिया के आराजी नं0 234 में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	51.18	12.80	38.38
		मोहल्ला भटकुआं पटटी के आराजी नं0 130 में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	68.31	17.08	51.23
		मोहल्ला प्रेम नगर चकिया के आराजी नं0 141 में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	35.98	9.00	26.98
		मोहल्ला चकमेंहदी के आराजी नं0 81 में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	74.90	18.73	56.17
		मोहल्ला बरपुर के आराजी नं0 23 (मि) में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	63.24	15.81	47.43
3.	नगर पालिका परिषद, किरतपुर, जनपद– बिजनौर	पी0डब्लू0डी0 रोड पर शमशान घाट के पीछे तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	82.31	41.155	41.155
		किरतपुर में रेलवे लाइन के निकट तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	82.29	41.145	41.145
		मौ0 अम्बेडकर नगर में तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	30.68	15.34	15.34
		मण्डावर रोड पर तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य	30.68	15.34	15.34
4.	नगर पालिका परिषद, सोनभद्र, जनपद– सोनभद्र	जोगिया बीर तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	29.88	2.98	26.90
5.	नगर पालिका परिषद, जमानियाँ, जनपद– गाजीपुर	वार्ड नं0 20 स्थित राधाकृष्ण मन्दिर पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	39.73	9.9325	29.7975
		कुल योगः–	672.79	220.2125	452.5775

रू0 452.5775 लाख (रुपये चार करोड़ बावन लाख सत्तावन हजार सात सौ पचास मात्र)

21.08.2023.

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Arun ji-Go-2022-23-VC

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-21/08/2023

प्रेषण संख्या:- 95
आवंटन आदेश संख्या:- 001-95-2023-4543-9-5-2023-003-CN-1607995-NJPTSY
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11298000 11298000	11298000 11298000
2	गाज़ीपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2979750 2979750	2979750 2979750
3	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	28290000 28290000	28290000 28290000
4	सोनभद्र-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2690000 2690000	2690000 2690000
	योग	वर्तमान प्रगामी	45257750 45257750	45257750 45257750

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ बावन लाख सत्तावन हजार सात सौ पचास
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ बावन लाख सत्तावन हजार सात सौ पचास

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव